TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM): (a) to (b). Statistics of units which have not obtained COB licences or have not submitted applications therefor are not maintained by this Ministry. Undertakings which are required to have a COB licence but which have not submitted applications therefor but are continuing to operate without a valid COB licence will attract the penal provisions as contained in Section 24 of the Industries (D&R) Act, 1951.

Supreme Court Judgment regarding Detention of Persons under Preventive Detention Act

2202. SHRI RANABAHADUR SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there has been majority judgment of the Supreme Court that Parliament was under no obligation to prescribe the maximum period for which a person could be detained under Preventive Detention Law; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) and (b). Presumably, the question refers to newspaper reports regarding a recent judgment of the Supreme Court in Fagu Shaw and others vs. State of West Bengal delivered on 20th December, 1973. In the course of the judgment, the Supreme Court explained the scope of provisions of article 22. Sub-clause (a) of clause (4) of article 22 provides that no law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period than three months unless an Advisory Board reports before the expiration of the said period of three months that there is in its opinion sufficient cause for such detention. The proviso to the said sub-clause further provides that such a law cannot authorise the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under sub-clause (b) of clause (7). The Supreme Court pointed out that the said proviso merely enables Parliament to restrict the maximum period during which a person could be detained under a law providing for preventive detention but does not compel Parliament to prescribe the maximum period. Government also had explained this position in the course of the debates in the House regarding section 13 of the Maintenance of Internal Security Act, 1971. In the course of the judgment, a majority of the Judges had also upheld the validity of section 13 of the Maintenance of Internal Security Act as amended by sub-clause (d) of clause (6) of section 6 of the Defence of India Act, 1971. While doing so, the majority judgment rerejected the argument that the maximum period prescribed by Parliament cannot be until the expiry of the Defence of India Act.

Time Limit for Receipt of Application for Pension to Freedom Fighters

2203. SHRI E. V. VIKHE PATIL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any date has been fixed beyond which application by freedom fighers for pension will not be entertained; and

(b) if so, the facts thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) and (b). Yes, Sir. A copy of the Public Notice is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-634/74].

12.00 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE REPORTED FIRING AT SIRATHU ON NORTHERN RAILWAY

SHRI RAM PRAKASH (Ambala): I call the attention of the Minister of Railways to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon.—

"The reported firing on a crowd of people squatting at Sirathu on Allaha-

bad-Kanpur line of Northern Railway in protest against the increase in railway fares resulting in the killing of three persons and injuries to six years.".

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI L. N. MISHRA): Mr. Speaker, Sir, on 2nd March, 1974 at about 18.00 hours about 500 persons led by one Shri Chhotey Lal Yadav organised agitations against the increase in Railway fares and stopped the Agra-Allahabad Passenger at Sirathu Railway Station, some 40 miles from Allahabad on Allahabad-Kanpur Section of Northern Railway by squatting on the railway track. GRP/RPF staff reached the spot and arrested 75 agitators to clear the track.

A case under section 120/128 of Indian Railways Act was registered at Allahabad.

On 3rd March, 1974 again a mob of about one thousand persons led by Shri Yadav squatted on the railway track and obstructed the Delhi-Howrah Janata Express and Allahabad-Agra Passenger from proceeding ahead. On receipt of the information, SDM/Allahabad and DSP rushed to the spot with reinforcement assisted by GRP personnel. The mob became violent and pelted stones on the police with the result the Magistrate declared the assembly unlawful and arrested 26 persons including Shri Chhotey Lal Yadav. As a result of brick-batting and use of lathis by the mob, 52 police personnel/RPF suffered injuries out of which the condition of two is serious. When the mob became more violent and wanted to free the arrested persons, the police was forced to use tear-gas shells to disperse the unruly mob. In the mean while, firing was resorted to by the mob from a house adjacent to the railway track which compelled the Magistrate to order firing, in which unfortunately 2 persons were killed and 9 injured.

Senior District Police officials and SDM are camping at Sirathu to avoid any untoward happenings.

A Magisterial enquiry has been ordered.

श्री राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस फायरिंग का बहुत अफसोस है । इस के जो कारण थे वह मिनिस्टर साहब ने बतला दिये हैं, लेकिन निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के अन्दर हर रोज हड़तालें, फायरिंग और मजाहरे होते हैं और इस तरह से इस देश का मोराल नीचा ही हुआ है, ऊंचा नहीं हुआ । इस दिल्ली के अन्दर, जहां हम रहते हैं, रोजाना मुजाहरे होते हैं । इस तरह से हमारा जो स्टैन्डर्ड है वह नीचे से और नीचे गिरता जा रहा है । रेलवे का सम्बन्ध आम पब्लिक से है और उस में गड़बड़ी होने से आम पब्लिक सफ़र करती है । आज रेलवे में गड़बड़ी के कारण आम पब्लिक को जो तकलीफ है उस को हमारे रेलवे सर्विस वाले भी जानते हैं । एक तो वैसे ही गाड़ियां मुश्किल से चलती हैं, और अगर थोड़ी बहुत चलती भी हैं तो वहां पर स्टुडेंट्स या दूसरे आदमी आ कर देश के अमन अमान को तबाह करते हैं और तरक्की के रास्ते में रुकावटें डालते हैं । आखिर किस तरह से देश के अन्दर यह सारी गड़बड़ी खत्म होगी ?

आज तमाम देश के अन्दर मंहगाई का जोर बढ़ता जा रहा है । लोग चिल्ला रहे हैं, आम लोगों को जिन्दगी जीना दूभर हो गया है । इस का कारण यह है कि रेलवे का जो भी मूवमेंट है वह तकरीबन बन्द होता जा रहा है । आज झरिया में कितना ही कोयला साइट पर पड़ा हुआ है, जहां पर भी कोयले की खदानें हैं वहां पर कोयला पड़ा हुआ है, लेकिन उन को ढोने के लिये वैगन नहीं मिलते हैं । अगर वैगन भी मिल जाते हैं तो रेलवे के कर्मचारी हड़तालें करते हैं । जब वे लोग हड़तालें करते हैं

[श्री राम प्रकाश]

तो कोयला आ नहीं पाता है । आप देखिये कि दिल्ली में ही कोयले की क्या हालत है ।

हमारे देश के अन्दर किसी भी चीज की कमी नहीं है, तब फिर कमी किस चीज की है ? कमी इस चीज की है कि हमारे यहां के लोग तो अमन चाहते है लेकिन मुखालिफ पार्टियां अमन को खत्म करना चाहती हैं । इस चीज को यह सदन भी अच्छी तरह से जानता है । इस देश के अवाम भोले भाले हैं, उन्हें बहकाया जाता है, उन्हें फसादात पर आमादा किया जाता है, लाठी-चार्ज पर आमादा किया जाता है ।

उन को मुजाहरों के लिये आमादा किया जाता है । उन से कहा जाता है कि चढ़, बच्चे सूली, रब्ब भली करेगा । वह जम कर नारे लगाते हैं । जब पुलिस उन के हाथ जोड़ती है तब वह नारेबाजी बुलन्द करते हैं और अमन अमान को तबाह करने की कोशिश करते हैं । पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जिस से डी एस पी और डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट जख्मी हो जाते हैं ।

आखिर इस सब का इलाज क्या है ? आज फारेन कंट्रीज में क्या हालत है ? आप तो फारेन कंट्रीज गये हैं । वहां के आदमियों में और यहां के आदमियों में जमीन आसमान का फर्क है । जो वहां के आदमी हैं वह पूरे देशभक्त हैं । अगर वह कुछ करते भी हैं तो अपने देश के भले को सामने रख कर काम बन्द नहीं करते । वह काम को चालू रखते हैं । यहां पर क्या होता है ? फैक्ट्री पर ताला लगाओ, रेलवे पर ताला लगाओ । जितने भी प्रोडक्शन के साधन हैं उन्हें खत्म करो । मैं आप के जरिये से गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि जब तक हमारे देश के हालात सुधरते नहीं, उस वक्त तक न तो देश में स्ट्राइक हो और न मुजाहरे हों । सब जगह देश में अमन अमान रहे और सरकार पूरी तरह से इस की कोशिश करती रहे । तभी इस देश के अन्दर डेवेलपमेंट हो सकता है और पूरी तरह से शान्ति हो सकती है । वर्ना आज हालत यह हो गई है कि सब जगह बेचैनी है । अगर अनाज कहीं से किसी जगह भेजते भी हैं तो उस को रास्ते में लूट लिया जाता है । मुझ को इस बात का बड़ा अफसोस है ।

मैं रेलवे मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन को सख्ती से कदम उठाना चाहिये, वर्ना हमारे यहां अवाम के जान माल की हिफाजत नहीं है । उन की हिफाजत के लिये जो कुछ भी किया जा सके वह किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो कोई किया गया नहीं, अगर मंत्री महोदय को कुछ कहना हो तो वह कह दें ।

श्री एल०एन० मिश्र : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है मैं उस से पूरी तरह सहमत हूं ।

श्री एस० एन० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी दुःखदायक घटना है । मंत्री महोदय के बयान को मैंने बड़े ध्यान से सुना, लेकिन मुझे ताज्जुब मालूम होता है कि वहां पर तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और जो लोग घायल हुए हैं मुझे सूचना मिली है कि उन की हालत नाजुक है, एक पांच साल के लड़के की मृत्यु हो गई है, लेकिन इस के बावजूद कहा जाता है कि किसी लीडर ने गाड़ी रोकने की कोशिश की । यह समझाने की कोशिश की गई कि कुछ लोगों ने पत्थर चलाये । केवल पत्थर ही नहीं चलाये बल्कि एक मकान में खड़े हो कर पहले गोली उन्होंने चलाई, फिर पुलिस

ने अपनी हिफाजत के लिये गोली चलाई । उन लोगों की गोली तो पुलिस को लगी नहीं, लेकिन पुलिस की गोलियां उन को लग गईं । मैं समझता हूं कि यह बात का बतंगड़ बनाया गया है । मंत्री महोदय के सामने तो इतनी बड़ी कहानी गढ़ कर रख दी गई है, उस के लिए मुझे खेद है और मैं उस की मुजम्मत करता हूं ।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि इस घटना की मजिस्टेरियल एनक्वायरी का आदेश दे दिया गया है । यह शर्म की बात है कि रेलवे ट्रैक पर तीन व्यक्तियों को गोली मार दी जाये, और उस की एनक्वायरी एक मजिस्ट्रेट द्वारा कराई जाये । मैं आशा करता था कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, बहुगुणा या केन्द्र के मंत्री महोदय इस घटना की अदालती जांच, जुडिशल एनक्वायरी, करायेंगे, ताकि लोगों को यह मालुम हो कि यह मुज़ाहरा क्यों हुआ था ।

उन लोगों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश इस वजह ने की कि रेल का किराया बेतहशा बढ़ाया गया है । छब्बीस साल की आज़ादी के बाद यह सरकार चीजों के दामों को बढ़ने से नहीं रोक सकी है । ट्रेन के किराये बढ़ाये गये हैं, तमाम टेक्सिज़ बढ़ा दिये गये हैं, और आज साधारण लोगों और विद्यार्थियों के लिए ट्रेन में सफ़र करना नामुमकिन हो गया है । अगर उन लोगों ने इस की मुख़ालिफ़त करने के लिए गाड़ी को रोका, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने सही किया ।

चौधरी राम प्रकाश ने कहा है कि गाड़ियों को रोकना नहीं चाहिए । गाड़ी चलती रहे, किराये बढ़ते रहें और जनता देखती रहे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । 15 अगस्त, 1947 से लेकर आज तक थर्ड क्लास के पसेंजर्ज का किराया 18 या 22 मर्तबा बढ़ाया गया है । इस वजह से जिन लोगों के पास पैसा न हो, या कम पैसा हो, उन के लिए यात्रा करना इमपासिबल हो गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना में तीन लोगों की जानें गई हैं, मंत्री महोदय को इस से सबक हासिल करना चाहिए, और उन्होंने थर्ड क्लास के किराये में जो वृद्धि की है, उस को वापिस लेना चाहिए, वर्ना लोगों के सामने इस के विरुद्ध आन्दोलन करने के सिवा और कोई चारा नहीं है ।

पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है । कितनी मर्तबा हम लोग रेल-किराया बढ़ाने के खिलाफ बहस करते हैं, लेकिन किराये बढ़ते रहते हैं । हम चीजों के दामों में वृद्धि के बारे में कितनी मर्तबा बहस करते हैं, लेकिन उन के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं । इसी लिए लोगों ने हाथ जोड़ कर हम से कहना शुरू कर दिया है कि आप बहस करना बन्द करो, क्यों कि उस से कोई फायदा नहीं होता है ।

क्या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को कहा जायेगा कि इस मामले की अदालती जांच कराई जाये ? अगर ऐसा नहीं होता तो एक आल-पार्टी पार्लियामेंटरी कमेटी वहां पर भेजी जाये, ताकि पता चल सके कि कि कुसूर किस ने किया है ।

जो लोग वहां शहीद हुए हैं—वे किसी मकसद को ले कर शहीद हुए हैं, किसी जाती फायदे के लिए नहीं—, अगर मंत्री महोदय उन की शाहादत पर आंसू नहीं बहा सकते, तो वह कम से कम इतना वायदा तो करें कि उन्होंने थर्ड क्लास का जो किराया बढ़ाया है, उस को वह वापस ले लेंगे । (व्यवधान) उन्होंने अपने लिए नहीं किया है । क्या आप में मरने और गोली खाने की हिम्मत है ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : आप में भी नहीं है ।

श्री एम० एस० बनर्जी : हम में हिम्मत है । हम ने लाठी खाई है और गोली भी खायेंगे । आप तो कुछ भी नहीं खा सकते हैं । आप तो पैसा खाते हैं ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अब आप कांग्रेस की प्रोटेक्शन में हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री रेड्डी को इस इन ट्रप्शन से कोई लाभ हुआ है ? वह माननीय सदस्य को बार-बार क्यों टोकते हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : जो व्यक्ति वहां मरे हैं, उन के परिवारों को मुआवजा देना चाहिए, और इस में पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए । किसी एक्सिडेंट में जो लोग मरते हैं, उन को मुआवजा मिलता है । ये लोग रेलवे ट्रैक पर मरे हैं । यह आन्दोलन भले ही थोड़े दिनों के लिए खत्म हो जाये, लेकिन यह आन्दोलन बढ़ेगा, सारे देश में बढ़ेगा, कोई चाहे या न चाहे । अगर इसी तरह रेल-किराया बढ़ता रहा, टैक्सेशन बढ़ता रहा, तो बेकार और भूखे इन्सान को रेल की पटरी नजर आयेगी या तो वह रेल की पटरी पर सिर रख कर आत्महत्या कर ले और या समाज की पटरी को उखाड़ कर फैंक दे, चाहे डेमोक्रेसी की मार्फत और चाहे दूसरे तरीकों से ।

श्री एल० एन० मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर या तो राज्य सरकार दे सकती थी और या गृह मंत्रालय । चूंकि यह रेलवे लाइन से सम्बन्धित मामला है, इस लिए मैं इस का जवाब दे रहा हूं । माननीय सदस्य ने जुडिशल एनक्वायरी कराने की बात कही है । लेकिन वह मेरे हाथ की बात नहीं है । उत्तर प्रदेश सरकार ने मजिस्ट्रेलियल एनक्वायरी का आर्डर दिया है ।

जहां तक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाने का सवाल है, इस को मानना मेरे लिए सम्भव नहीं है ।

माननीय सदस्य ने थर्ड क्लास फेयर्ज में वद्धि को वापिस लेने की बात कही है । इस समय रेलवे बजट पर डिसक्शन चल रहा है । हम इस बारे में अपने तर्क हाउस के सामने रखेंगे । अब हाउस इस बारे में फसला करेगा । यह हाउस के हाथ में है कि वह उस को स्वीकार करे या अस्वीकार करे ।

जो लोग रेलवे एक्सिडेंट में मरते हैं, उन को एक कानुन के मातहत कम्पेन्सेशन मिलता है । अभी ऐसा कोई कानुन नहीं है कि जो रेलवे लाइन पर या उस के बगल में, मर जाये, तो उस के लिए मुआवजा दिया जाये । जो लोग मरे हैं, उन के परिवारों के साथ मेरी पूरी सहानुभुति है । इन्नोसेंट और निर्दोष लोग ही मरे हैं । यह मामला खड़ा करने वाले लोग तो बच गये होंगे । उन लोगों को मुआवजा देने का कानूनी हक मुझे नहीं है । लेकिन मैं इस के बारे में जांच करूंगा ।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: The Minister has readily expressed his profound grief over the loss of three innocent lives. I share fully his views and I also express my sorrow at the outset. We have to go to the root cause of the problem. In this country only 1.3 per cent of the people travel by first class, air-conditioned or upper class; 98.7 per cent of the people travel in the third class. The income which is expected to be derived from first class and other upper class passengers is about Rs. 4.5 crores whereas from the third class passengers, 98.7 per cent of the travelling public, the income expected is the same amount, namely, Rs. 4.5 crores. The increase applies only to people who travel more than thousand kms; those who travel less will only pay 20 paise extra over and above the fare now in force. There are some parties which could not get even

five seats out of 425 seats and those parties unnecessarily start some agitations.... (*Interruptions*). Let us see the logic of Shri S. M. Banerjee's arguments: when he goes to the railwaymen and labour, he wants higher wages; when he goes to the ordinary people, he wants less fare and more amenities to the people. After all Shri Mishra has not Quaroon's khazhana.... (*Interruptions*)

Now the opposition parties want more amenities to the passengers, more wages to the workmen and, at the same time, less taxes. Let the opposition parties who want all these things speak on these three items at the same time and not one at a time. They are creating all this trouble.

At the same time, I would request the Minister to see that firing is stopped. We should consider adopting the method which is followed in the western countries of throwing water with force over the crowd so that they will disperse.

Now what happens is that the mischief mongers collect the innocent people, take them to the railway track and when the violence starts the ring leaders run away and take shelter elsewhere. Only poor people are killed. I want to know what happened to Shri Chotte Lal Yadhav. When the innocent people have received bullet injuries, has he received any injuries? If he has received any injuries, has he been admitted in any hospital for treatment?

श्री मधु लिमये (बांका) : क्या आप चाहते हैं कि छोटे लाल कों मार देना चाहिये था—बोलने का भी कोई तरीका होता है ।

श्री एल० एन० मिश्र : प्रश्न में कोई खास बात नहीं कही गयी है । जहां तक लोगों के मरने की बात है, मुझे खेद है, लेकिन लाचारी में ऐसा करना पड़ा, पुलिस को यह कार्यवाही लाचारी से करनी पड़ी । पुलिस के 52 लोग घायल हुये, जिनमें दो की हालत चिन्ताजनक है, अस्पताल में भरती हैं । कुछ दूर से लोगों ने गोली चलायी, इसलिये पुलिस को गोली चलानी पड़ी—ये सभी चीजें मैजिस्ट्रियल एन्क्वारी के पास हैं, हमें देखना है कि क्या सत्य है ?

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं रेड्डी साहब की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि जो छोटे लाल यादव हैं, ये एक नौजवान आदमी हैं और जैसा वह समझते हैं—ये समाजद्रोही या गुण्डा आदमी नहीं हैं, 10 हजार वोट इस चुनाव में इस युवक ने पाये हैं....

श्री एल० एन० मिश्र : चुनाव हारे हैं ।

श्री मधु लिमये : हां, इसलिये कि आपकी तरह खरीदने के लिये पैसा नहीं है । ता० 24 को मैं उनके क्षेत्र में गया था और सभा में मुझ से उन्होंने सवाल पूछा कि रेल बजट जो कि चुनाव के पहले आना चाहिये था, वह क्यों बाद में आयेगा ? मैंने कहा—बाद में इसलिये आ रहा है कि श्री ललितनारायण मिश्र गरीब लोगों पर नये टैक्स लगाने जा रहे हैं । वे नहीं चाहते हैं कि चुनाव के पहले इसकी घोषणा हो । तब उन्होंने उस सभा में कहा—यदि तीसरे दर्जे के यात्रियों पर अन्यायपूर्ण ढंग से किराया बढ़ाया जाएगा तो मैं शान्तिपूर्ण ढंग से उसके खिलाफ आन्दोलन करूंगा । तब मैंने कहा—शान्तिपूर्ण ढंग से आन्दोलन करने का आपको पूरा अधिकार है । आपकी सी० आई० डी० ने हम लोगों के भाषण लिये हों, हमने किसी भी तरह हिंसात्मक आन्दोलन की बात नहीं कही थी—आप सी० आई० डी० रिपोर्ट में देख लीजिये । लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं कि चुनाव के क्या नतीज होते हैं उसका और आन्दोलन का कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि चुनाव के नतीजों के बारे में आपकी घमण्ड जैसी स्थिति नहीं है । मैं आज के टाइम्स आफ इण्डिया का हवाला देते हुये बतलाता हूं—श्री जे० डी०

[श्री मधु लिमये]

सिंह इंगलैण्ड से लिखते हैं—लिबरल पार्टी के साथ कितना अन्याय हुआ—20 परसेन्ट वोट मिले, लेकिन 14 सीटें मिलीं—वहां जाने के बाद पत्रकारों को ऐसा खयाल आता है, लेकिन हिन्दुस्तान के अखबार वाले कभी इन चीजों के बारे में नहीं लिखते। आपको उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वोट मिला है—जो इतनी डींग हांक रहे हो और विरोधी दलों को कितने प्रतिशत मिला है उस अनुपात में यदि सीटों का बंटवारा होता हो क्या आज बहुगुणा की सरकार वहां बन सकती थी। इसलिये इन बातों को छोड़ दीजिये, अगर चुनाव और मतदान की बात करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं—दो तिहाई बहुमत आपका लोक सभा में है, लेकिन मतदाताओं का जो बहुमत है, उसका समर्थन इस लोक सभा की बहुमतवाली पार्टी को नहीं है। जब आप की इस चुनाव पद्धति के चलते तकरीबन 70 प्रतिशत लोगों को प्रशासन में हिस्सा नहीं मिलेगा तो क्या रास्ता रह जाता है—आन्दोलन के अलावा . . .

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री मधु लिमये : इन्होंने यह सवाल उठाया था, इसलिये उसका जवाब दे रहा हूं। आपको उसी समय इनको रोकना चाहिये था, अब ये उसका जवाब सुनें।

अगर चुनाव पद्धति में परिवर्तन नहीं करेंगे और 70 प्रतिशत मतदाताओं को प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो इन मतदाताओं के सामने आन्दोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता। . . . .

श्री शशि भूषण (दक्षिणी दिल्ली) : इनको प्रशासन में हिस्सेदारी दीजिये।

श्री मधु लिमये : मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं मतदाताओं के आधार पर कह रहा हूं। यहां लोक सभा में और असेम्बली में बहुमत मिला है—इसके लिये घमण्ड में मत जाइये। गुजरात में भी मिला था—लेकिन सवालों को वोटों से भी हल करते हैं और चोटों से भी हल करते हैं। अगर गलत काम करेंगे तो शान्तिपूर्ण आन्दोलन की चोट से भी सरकारों को गिराया जायगा।

"शान्तिपूर्ण" क्यों कह रहा हूं—इसलिये कि यह हमारा तरीका है। हम यह भी कह सकते थे कि हथियारों को लेकर लड़ना चाहिये—लेकिन उसमें हमारा विश्वास नहीं है।

अब मंत्री महोदय के बयान को लीजिये—मंत्री महोदय कहते हैं—2 मार्च, को 500 लोगों ने श्री छोटे लाल यादव के नेतृत्व में रेलवे का जो किराया बढ़ा है उसके खिलाफ आन्दोलन करते हुये आगरा-इलाहाबाद पैसिंजर को इलाहाबाद से 40 मील की दूरी पर रोका। आगे कहते हैं—कि जी० आर० पी० और आर० पी० एफ० का स्टाफ उस जगह पर पहुंच गया और उन्होंने 75 आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार किया—इसका मतलब है कि पहले दिन तो कोई हिंसा की बात नहीं थी और इनका भी इसके बारे में कोई आरोप नहीं है। अब मैं जानना चाहता हूं कि इनका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स किसलिये हैं?

आप अपने बजट भाषण को इतनी जल्दी भूल जाते हैं। आप इस भाषण में कहते हैं—"रेल सम्पत्ति की रक्षा और परिवहन के लिये रेलों को सुपुर्द किये गये माल की हिफाजत के लिये रेलवे सुरक्षा दल की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब है कि रेल–जायदाद और रेल को परिवहन हेतु जो सम्पत्ति चुराई जाती है उसकी रक्षा के लिए आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स काम नहीं करता है। मुगलसराय के यार्डों में हर दिन कितनी सम्पत्ति चुराई जाती है, सबसे पहले उसका हिसाब दीजिये। आज हनुमन्तैया साहब कहां चले गये, पता नहीं उन्होंने ठीक ही कहा है–रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक फ्राड है, उसको दुरुस्त करना चाहिये। आज मैं उसको और धिक्कारना चाहता हूं—रेलवे की जायदाद और सम्पत्ति की रक्षा के बजाय आप उसका इस्तेमाल शान्तिपूर्ण ढंग से

आन्दोलन करने वाले के खिलाफ, उन के आन्दोलन को कुचलने के लिये कर रहे हैं—क्या यह आपके दायरे में आता है ? क्या यह उसका काम है ? आपका ध्यान मैं आपके एक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके सेक्शन 12 में गिरफ्तारी के बारे में क्या कहा गया है—

"(a) any person who has been concerned in an offence relating to railway property punishable with imprisonment for a term exceeding six months, or against whom a reasonable suspicion exists of his having been so concerned; or

(b) any person found taking precautions to conceal his presence within railway limits under circumstances which afford reason to believe that he is taking such precautions with a view to commiting theft of, or damage to, railway property."

यह आप का कानून है और आप स्वयं भी अपनी स्पीच में कहते हैं कि रेलवे की जायदाद और माल की रक्षा के लिये आर०पी०एफ० है—तब मेरा पहला सवाल यह है—आन्दोलनकारियों को पकड़ने के लिये आप ने आर०पी०एफ० का जो दुरुपयोग किया है, इसके ऊपर मेरा सख्त ऐतराज है, इस का समर्थन आप कैसे करने जा रहे हैं । मेरी मांग है कि आर०पी०एफ० एक भार मात्र रह गया है, इस के ऊपर पैसा बरबाद हो रहा है, इस का दुरुपयोग हो रहा है, यह रेलवे जायदाद की रक्षा करने में असमर्थ रहा है तो सब से पहले इस को बरखास्त कर के इस से जो पैसा बचेगा उस से जो किराया बढ़ा है, उस को रद्द कर दीजिये । इसलिए मेरी आप से मांग है कि आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को बर्खास्त कीजिए और जो 38 करोड़ रुपया आपने किराया वृद्धि के रूप में गरीब और साधारण लोगों पर डाला है उसको भी आप रद्द कीजिए । आप 38 करोड़ रुपया लगाते हैं साधारण लोगों पर और काफी आमदनी का जो अनुमान है उस पर भी हमको विश्वास नहीं है . . .

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिए । रेलवे पर अभी तो बहस होनी है ।

श्री मधु लिमये : दूसरी तरफ आप बड़े लोगों पर 4 करोड़ रुपया बढ़ा रहे हैं इसलिए मेरा दूसरा प्रश्न है कि अगर आपको किराया बढ़ाना ही है तो फर्स्ट क्लास और एयर-कन्डीशंड क्लास पर और बढ़ा दीजिए या आप इन दोनों वर्गों को खत्म ही कर दीजिए तब भी मुझे कुछ नहीं कहना है । तीसरे दर्जे का किराया जो बढ़ाया है उसको लेकर बहुत बड़ा आन्दोलन होने वाला है, उस आन्दोलन को आप दबा नहीं पायेंगे, इलाहाबाद जिले में वह फैल रहा है तथा दूसरी जगहों पर भी वह जायेगा । तो क्या आप तीसरे दर्जे के किराये में वृद्धि को खत्म करेंगे ?

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि इन्होंने जो कहा है कि दो लोग मरे लेकिन मुझे टेलीफोन पर उसी दिन पता चला कि 13 लाशें मिलीं थीं । रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने 13 लोगों को गोली से मारा और उनकी लाशों को दूर जाकर जला दिया या गंगा जी में डाल दिया लेकिन मेरी जानकारी है कि 13 मरे हैं । तो क्या इसकी जांच करने के लिए इस सदन की एक कमेटी को मौका देंगे ? इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि सचमुच में 13 मरे हैं या दो मरे हैं इसके बारे में जांच करने के लिए इस सदन की समिति को अधिकार देंगे ?

श्री एल० एन० मिश्र : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने गणतन्त्र की आधारशिला को ही चुनौती दी है । वे समझते हैं मेजारिटी माइनारिटी कोई चीज नहीं है । इस सम्बन्ध में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि यह बहस की बात होगी । उनकी अपनी यह राय हो सकती है लेकिन जहां जहां भी जनतंत्र है वहां इसी ढंग से शासन चलता है कि जिस पार्टी को

[श्री एल० एन० मिश्र]

बहुमत मिलता है वह शासन चलाती है और अल्पमत विपक्ष में बैठता है हालांकि इज्जत दोनों की बराबर है ।

जहां तक आर०पी०एफ० के इस्तेमाल का सवाल है, मेरे खयाल से ऐसी कोई शिकायत नहीं पहुंची है कि कानून से जो उनको अधिकार हैं उनसे वे बाहर गये हों । अगर बाहर गये होंगे तो जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी बैठी है उससे पता चलेगा कि उनका यूज ठीक था या नहीं । जहां तक मुझे जानकारी है, मैं समझता हूं आर०पी०एफ० और जी०आर०पी० दोनों का सही ढंग से इस्तेमाल किया गया । दफा 144 के बाद रेलवे की जो प्रापर्टी है, रेलवे की जो टेन्स हैं, इंजन हैं वह अगर रेलव की प्रापर्टी नहीं है, पब्लिक की प्रापर्टी नहीं है तो फिर क्या है ? इसकी रक्षा करना उसका काम है ।

माननीय सदस्य ने कहा कि एक पार्लेमेन्टरी कमेटी वहां जांच करने के लिए जाये तो जैसा मैंने कहा यह सम्भव नहीं है । मैजिस्टीरियल इंक्वायरी के लिए आर्डर दिया गया है ।

फर्स्ट क्लास, एयरकंडीशंड और थर्ड क्लास के किराये की जहां तक बात है, उस पर बहस चलेगी और तब मैं उसका उत्तर भी दूंगा ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद कहा है कि पहले दिन मैजिस्ट्रेट नहीं था और फिर कहते हैं मैजिस्ट्रेट की अनुमति से गोली चली ।

श्री एल० एन० मिश्र : फार्यरिंग तो दूसरे दिन हुई है ।

SHRI SAMAR GUHA (Contai): On a point of order, Sir.

MR. SPEAKER: No point of order, please.

Only those members whose names appear in the Call Attention can put questions. I am not allowing the hon. Member.

SHRI SAMAR GUHA: I want to draw your attention to a very relevant point, Sir. The hon. Minister is misleading the House....

MR. SPEAKER: There is a separate procedure for that. The hon. Member cannot get up on a point of order like this. This is not a point of order.

I am not allowing the hon. Member.

SHRI HARI KISHORE SINGH (Pupri): If the conduct of the leader of the Socialist Party in this House is any indication we can very well judge how the peaceful volunteers would have behaved.

SHRI SAMAR GUHA: Chair is there.

SHRI HARI KISHORE SINGH: You have defied the Chair.

SHRI SAMAR GUHA: It is a serious observation made by a Member. I draw your attention.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Was there violence in the House? I hope you won't justify firing by the Home Minister in this House.

SHRI HARI KISHORE SINGH: I have great respect for Prof. Samar Guha and Prof. Dandavate and Mr. Madhu Limaye. I have been their follower for quite long time. But I am just shocked and pained because people have died as a result of firing by the police. This is very wrong and we all condemn it but what kind of pressure our friends of the socialist party want to exert on the Government? Why they have selected Allahabad for the purpose? Is it because this place has produced three successive Prime Ministers and so they have selected that place to tarnish its image?

श्री मधु लिमये : आब्सेशन हो गया है आप लोगों को ।

SHRI HARI KISHORE SINGH: This, —Allahabad,—is admission of your obsession.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Because it is Sangam!

SHRI HARI KISHORE SINGH: One of the major loads of the Railways has

been Mr. Banerjee and his friends and the movement they lead. This particular thing is not a local problem. It is an all India phenomena. The question involved is whether the public are going to be guaranteed their right to travel or not. I want to ask this specific question. If there is gherao what protection the Railway Minister and Railway Ministry are going to give to poor travelling passengers? What protection will they give for security of travel and protecting their life and property?

SHRI MADHU LIMAYE: Abolish the fare increase.

SHRI HARI KISHORE SINGH: My second question is this.

Secondly, is it also a fact that it is because of the union rivalry that this kind of agitation is being launched? May I know whether the hon. Minister has any information that the previous loco-strikes had challenged the recognised unions and they had some political bearings also and whether this present agitation is also a part of that? If so, I request the hon. Minister to refrain from encouraging surreptitious unions in the railways but to strengthen the existing recognised unions and also, if possible, to have one union in the railways and arrange to have as quickly as possible a secret ballot for that purpose. I would request the hon. Minister to consider this suggestion.

There is a controvercy about the number of people involved. Such agitations are going to be conducted and going to be launched on a large scales. Therefore, I would request you, Sir, to convene a meeting of the leaders of the political parties represented in this House, on this issue, because this is going to be a permanent problem throughout the year and many things are going to be involved in this, because the violent movements are going to spread throughout the country. It has already started in Gujarat and it has started also in Allahabad, and it may start at other places as well. Therefore, it is necessary to put an end to it, and for this purpose, I would request you to convene a meeting of the leaders of the political parties represented in this House and try to evolve a code of conduct that on certain issues violent agitations would be permitted and if violent agitations take place, the leaders should also condemn it and not merely Government.

Lastly, I would request the hon. Minister to be more liberal. I know that he is very sympathetic to the victims of the police firing. He has already said in his reply that he would examine the law and see whether it permits the payment of compensation or any *ex-gratia* payment to the victims of the police firing. I would request him that if necessary the law should be amended to give *ex-gratia* payment to the victims of this firing.

SHRI L. N. MISHRA: I have nothing much to say except, as I have already said, that I shall examine the Act and see if there is any provision under which compensation can be paid, but I do not think that there is any at this stage.

12.43 hrs.

MOTION FOR ADJOURNMENT SITUATION IN GUJARAT

SHRI SAMAR GUHA (Contai): I want to draw your attention to the fact that I have tabled an adjournment motion on the situation in Gujarat. Every day reports are coming that our young men are being killed, and every day two or three or four or five young men are being killed. How long will this killing and this savage butchery continue? How long will this House tolerate this continuous butchery of our young men during the last one and a half months?... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: So many of the hon. Members are speaking together. Order, order.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): We shall speak one by one.

MR. SPEAKER: There is no question of speaking one by one. Every day, in some form or the other, hon. Members get an